(माहेश्वरी बंधुओं द्वारा संचालित)

अगले पड़ाव पर पहुंची भोगिशैल परिक्रमा यात्रा

जोधपुर,वेब वार्ता । सनातन सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम मानी जाने वाली पौराणिक भोगिशैल परिक्रमा यात्रा दूसरे दिन आज सुबह रातानाडा गणेश मंदिर में दर्शनों के बाद अगले पड़ाव पर रवाना हुई। इस दौरान पूर्व महारानी हेमलता राज्ये ने भी रातानाडा गणेश मंदिर में दर्शन के बाद पदयात्रा शुरू की। हेमलता राज्ये भोगिशैल परिक्रमा में आने वाले मंदिरों के दर्शन कर मारवाड़ की खुशहाली की प्रार्थना करेंगी। सैनाचार्य अचलानंद महाराज परिक्रमा यात्रा में उनके साथ रहे। परिक्रमा यात्रा आयोजन समिति के संयोजक नरेश जाजड़ा व सचिव विष्णुचन्द्र प्रजापत ने बताया कि यह परिक्रमा यात्रा पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) में आयोजित होती है। इस वर्ष ज्येष्ठ मास अधिक होने के कारण यह यात्रा सोमवार को रवाना हुई थी जो 31 मई को सम्पन्न होगी। यात्रा के दौरान 54 से अधिक मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। गत सौ वर्षों से हिन्दू सेवा मण्डल जोधपुर द्वारा यह परिक्रमा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि सोमवार को परिक्रमा ध्वज का रात्रि विश्राम भाटी चौराहा पर रहा। आज सुबह यात्रा व परिक्रमा ध्वज दूसरे पड़ाव के लिए रवाना हुई। यात्रा रिक्तियां भैरूजी, जलजोग चौराहा, बारहवीं रोड, पाल रोड, मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर, पाल लिंक रोड, जूना खेड़ापति बालाजी, नाइयों की बगीची, चौपासनी रोड प्रथम पुलिया होते हुए चौपासनी पहुंची। श्रद्धालुओं का रात्रि विश्राम चौपासनी क्षेत्र में रहेगा।इससे पहले आज सुबह चार बजे पूर्व महारानी हेमलता राज्ये ने रातानाडा गणेश मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करने के बाद भोगिशैल परिक्रमा पदयात्रा शुरू की। उनके साथ में सैनाचार्य अचलानन्द महाराज भी थे। बता दे कि जोधपुर के पूर्व राज परिवार का वर्षों से भोगिशैल परिक्रमा से जुड़ाव रहा है। वर्ष 2012 में 26 अगस्त से एक सितंबर तक भोगिशैल परिक्रमा के दौरान हेमलता राज्ये ने परिक्रमा क्षेत्र में आने वाले विभिन्न मंदिरों के सात दिन दर्शन किए थे। उस समय सैकड़ो महिलाएं उनके साथ रही थी।

इन मंदिरों में किए दर्शन

हेमलता राज्ये ने सैनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज के साथ सबसे पहले रातानाडा गणेश मंदिर, रोटरी बालाजी मंदिर, रिक्तिया भेरूजी मंदिर, जूना खेड़ापति मंदिर, नाइयों की बगीची स्थित बालाजी का मंदिर व चौपासनी स्थित श्री श्याम मनोहर प्रभु मंदिर में दर्शन कर मारवाड़ वासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सुरक्षा अधिकारी किशनवीर सिंह राठौड़ व करण सिंह भाटी व्यवस्था संभाले हुए थे। परिक्रमा के दौरान अनुपमा सिंह, योगेश्वरी सिंह रंभा सिंह व राजेश्वरी सिंह भी साथ थी। हेमलता राज्ये का सुबह से लेकर दोपहर बाद तक जगह-जगह विभिन्न समितियां, संस्थाओं, समाज संगठनों द्वारा मालाएं पहनाकर, चाय की मनुहार, शरबत, नींबू शिकंजी, की मनवार करके स्वागत किया। हेमलता राज्ये पदयात्रा के दौरान साथ चल रही महिलाओं से बातचीत करते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए चल रही थी।

कल यह रहेगा यात्रा का रूट

तीसरे दिन 27 मई को सुबह यात्रा चौपासनी से प्रस्थान कर यात्रा हथकरघा भवन, दंताल माता मंदिर, श्रीजी बैठक, कच्छवाहा चौराहा, अरना तीर्थ, झरना तालाब, भदरेसिया, हाड़माता मंदिर, कदमकंडी की सीढ़ियां होते हुए बड़ली पहुंचेगी। यात्रा का बड़ली भैरू में पड़ाव रहेगा।

अगले दिन 28 मई को यात्रा बड़ली से प्रस्थान कर केरू-बेरू रोड, सोढ़ों की ढाणी, रूपावतों का बेरा, कुई बावड़ी, भूरी बेरी, अक्षरधाम मंदिर, पन्नालाल गौशाला, बृहस्पति कुण्ड होते हुए वैद्यनाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी। विश्राम वैद्यनाथ महादेव क्षेत्र में रहेगा।

अवैध हथियारों के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

जोधपुर,वेब वार्ता । साइबर सैल जिला जोधपुर ग्रामीण व पुलिस थाना सोजत रोड ने संयुक्त रूप से अवैध हथियारों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुल्जिम गिरफ्तार किए है। उनके पास से दो अवैध पिस्टल, तीन मैगजीन व चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए है। यह दोनों अवैध हथियारों की स्थानीय स्तर पर सप्लाई करते थे।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने बताया कि जिले के सभी थानाधिकारियों, वृताधिकारियों व जिला साइबर सैल को अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए तस्करों की धरपक्कड़ के निर्देश दिए गए थे, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण भोपालसिंह लखावत व उप अधीक्षक पुलिस साइबर सैल जोधपुर ग्रामीण रतनसिंह के निर्देशन में एएसआई मनफूल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

कांस्टेबल सेठाराम व किशोर दुकतावा की मुखबिरी सूचना पर सियाट बस स्टैंड सोजत रोड से पुलिस थाना सोजत रोड की इमदाद से दो मुल्जिम घाणामगरा पुलिस थाना बिलाड़ा निवासी विक्रम पुत्र रामनिवास जाट एवं तिलवासनी निवासी रामकिशोर पुत्र बुधाराम बिश्नोई को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। तलाशी के दौरान उनके पास दो अवैध पिस्टल, तीन मैग्जीन व चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। जांच में पता चला कि मुल्जिम विक्रम पुलिस थाना बिलाड़ा के मामलों में वांछित चल रहा था। विक्रम के विरुद्ध पूर्व में भी आर्म्स एक्ट, डकैती के प्रकरण दर्ज है।

आग में जले रिकॉर्ड रिकंस्ट्रक्ट करने की बड़ी चुनौती

गुरुग्राम कोर्ट कैसे जुटाएगा 1975 से लेकर अब तक की फाइलें

गुरुग्राम,वेब वार्ता । जिला अदालत के रिकॉर्ड रूम में आग लगने के बाद 51 वर्षों के न्यायिक रिकॉर्ड को दोबारा तैयार करने की चुनौती सामने खड़ी हो गई है। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मानना है कि यह कार्य कठिन जरूर है। लेकिन सभी पक्षों के सहयोग से रिकॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अदालत प्रशासन ने भी जले हुए रिकॉर्ड को पुनर्निर्मित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अदालत परिसर का निर्माण 1975 में किया गया था। 1975 से पहले जिला अदालत सिविल लाइन में चलती थी। 1975 से अभी तक का सभी डिसाइड केस का रिकॉर्ड इसमें रखा था। निचली अदालत और सेशन अदालत के रिकार्ड रूम आमने-सामने हैं। बताया जा रहा है कि सेशन अदालत का रिकॉर्ड रूम सुरक्षित है। अधिकांश मामलों की प्रतियां संबंधित अधिवक्ताओं के पास उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा जिन मामलों का फैसला निचली अदालतों में हो चुका है और जिन्हें सत्र अदालत में चुनौती दी गई है। उनका रिकॉर्ड वहां सुरक्षित रहता है। कई मामलों का रिकॉर्ड हाईकोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है। जिससे दस्तावेज जुटाने में मदद मिलेगी। पुराने मामलों को दोबारा व्यवस्थित करना समय लेने वाला काम है। लेकिन आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों से प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। बार और बेंच मिलकर काम करें तो रिकॉर्ड पुनर्निर्माण संभव है। वैसे 2015 के बाद तो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। पुराने रिकॉर्ड की विशेष परिस्थितियों में ही जरूरत होती है। अदालतों में पेश होने वाले दस्तावेजों की प्रतियां पक्षकारों और वकीलों दोनों के पास रहती हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण फाइलों को दोबारा तैयार किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चुनौती बहुत पुराने मामलों में आएगी। जहां दस्तावेज सीमित उपलब्ध होंगे। पुरानी फाइलें रखने के लिए अधिवक्ताओं के पास भी इतने बड़े रिकॉर्ड रूम उपलब्ध नहीं होते। यह केवल अदालत प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि अधिवक्ता, पक्षकार और अदालत कर्मचारी समन्वय के साथ कार्य करें तो जले हुए रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा दोबारा तैयार किया जा सकता है। जले हुए रिकॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करना चुनौती भरा काम तो है लेकिन कठिन नहीं है।

महाराष्ट्र की शादी में दूल्हे ने दिया अनोखा रिटर्न गिफ्ट, 3456 किसानों का कराया 33.6 करोड़ का दुर्घटना बीमा

शुभ विवाह- गांव वालों को शगुन: 33.6 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा
शगुन- गांव सुरक्षा को

मुंबई,वेब वार्ता । महाराष्ट्र में एक अनोखी शादी देखने को मिली जहां रिटर्न गिफ्ट में 33.6 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा दिया गया। मराठवाड़ा क्षेत्र में नांदेड़ से लगभग 55 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित कंधार तालुका के बहादुरपुरा गांव में एक जश्न सामाजिक सुरक्षा में बदल गया। दूल्हे सिद्धेश्वर पेठकर और उनके परिवार ने गांव के सभी 3,465 निवासियों को 1-1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर गिफ्ट किया। यह एक ऐसा गांव हैं जहां सांप के काटने, बिजली गिरने और खेती-बाड़ी से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण अक्सर परिवार बिखर जाते हैं और उनके पास कोई बीमा भी नहीं होता। न कोई भेदभाव और न कोई कागजी कार्रवाई की बाधा पेठकर परिवार ने बीमा कंपनी को गांव के मतदाताओं की सूची सौंपने के बाद स्थानीय ग्राम पंचायत के नाम पर एक 'ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी' खरीदी। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि हर पात्र निवासी बिना किसी भेदभाव या कागजी कार्रवाई की बाधाओं के इस सुरक्षा कवच के दायरे में आ जाए। यह पॉलिसी एक वर्ष के लिए वैध रहेगी, जबकि इसके नवीनीकरण पर चर्चा बाद में होने की उम्मीद है। सिद्धेश्वर ने कहा, 'हमारी संस्कृति में दान का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। हमें तालियों की चाह नहीं है। बस आशीर्वाद ही काफी है।' दूल्हे के बड़े भाई अनूप पेठकर ने कहा, 'हमारी खुशी को हमारे घर की सीमाओं से बाहर भी पहुंचना था। नांदेड़ के आस-पास के गांवों में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें बहुत आम हैं। हम चाहते थे कि यह शादी अपने पीछे सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि सुरक्षा भी छोड़ जाए।'

गांव वालों ने क्या कहा: इस नेक काम की खबर पूरे तालुका में शादी के संगीत से भी तेजी से फैल गई और 4,500 मेहमानों के साथ होने वाला एक भव्य समारोह लोगों के लिए एक सामूहिक भरोसे का प्रतीक बन गया। सरपंच बलिराम पेठकर ने इसे इस क्षेत्र के लिए शायद पहली घटना बताया। उन्होंने आगे कहा, 'शादियों में लोग मिठाइयां और यादगार तोहफे आपस में बदलते हैं।

यहां एक परिवार ने सुरक्षा सौंपी।' गांव में रहने वाले मोहन शेकापुरे ने कहा, 'ऐसा लगा मानो पूरे गांव को शगुन के तौर पर एक सुरक्षा कवच मिला हो। यहां किसी ने भी शादी का ऐसा तोहफा पहले कभी नहीं देखा था।'

सरकारी टीचर के घर से 45 लाख का सोना चोरी

अलवर/बहरोड, 26 मई (वेबवार्ता)। अलवर में चोरों ने सरकारी टीचर के सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 45 लाख रुपए के सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। परिवार गोवर्धन परिक्रमा के लिए बाहर गया हुआ था और वापस लौटने पर मकान के ताले टूटे मिले। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से लाखों के गहने गायब थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना सोमवार देर रात खेड़ली कस्बे के वार्ड नंबर 7 स्थित कजोड़ी मोहल्ले की है, जहां सरकारी टीचर रवि टांक के घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक, रवि टांक पुत्र भगवान टांक सोमवार शाम करीब 7 बजे अपनी पत्नी और साथियों के साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे। परिवार घर पर ताला लगाकर गया था। मंगलवार सुबह वापस लौटने पर मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और एक कमरे का ताला भी टूटा हुआ था। अलमारी से करीब 30 तोला सोने के जेवर चोरी पीड़ित टीचर रवि टांक ने बताया कि कमरे में रखी अलमारी से करीब 30 तोला सोने के जेवर चोरी हो गए। चोरी हुए जेवरों में सोने की चार चैन, पैंडल, कड़े, चार चूड़ियां और 16 अंगूठियां शामिल हैं। चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी हुए गहनों की बाजार में करीब 45 लाख रुपए की कीमत है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी।

उप महापौर ने प्रीत विहार वार्ड का किया निरीक्षण

नई दिल्ली, 26 मई (वेब वार्ता)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की उप-महापौर डॉ. मोनिका पंत ने मंगलवार को प्रीत विहार वार्ड का क्षेत्रीय दौरा कर क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था तथा चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उप महापौर ने क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों एवं सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, नालों की सफाई, पार्कों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था एवं अन्य जनसुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी गंभीरता से सुना। उप महापौर ने निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा क्षेत्र में स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाओं के स्तर को और बेहतर बनाया जाए। उप महापौर ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। डॉ. मोनिका पंत ने कहा कि नगर निगम राजधानीवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

दिल्ली में लापरवाही का शिकार बने दो मजदूर

नई दिल्ली, 26 मई (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सेप्टिक टैंक की साफ करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से एक 55 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं, दूसरे मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस मामले मुकदमा दर्जकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, दोनों मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन सपोर्ट या प्रोटेक्टिव गियर के करीब आठ फीट गहरे सेप्टिक टैंक के अंदर भेजा गया था। घर के मालिक ने ठेकेदार अनिल को टैंक साफ करने का काम सौंपा था। ठेकेदार ने नोएडा सेक्टर-16 के रहने वाले विनोद (55) और धर्मेंद्र (34) को यह काम सौंपा। पुलिस के अनुसार, दोनों मजदूर टैंक के अंदर गए और कुछ ही मिनटों में जहरीली गैसों को अंदर लेने के बाद बेहोश हो गए। ठेकेदार और स्थानीय लोगों ने रस्सियों और हुक की मदद से दोनों को बाहर निकाला और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने विनोद को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि धर्मेंद्र की हालत गंभीर बनी हुई है।

असम की महिला को दिल्ली में बेचकर अलवर भेजा

अलवर/बहरोड, 26 मई (वेबवार्ता)। असम की एक महिला से अलवर शहर में जबरन काम करवाया जा रहा था। महिला और उसके पति को दिल्ली में बाइक पार्ट्स की कंपनी में काम के बहाने बुलाया गया था। इसके बाद दोनों को बेचकर अलग-अलग कर दिया गया। महिला को दिल्ली से अलवर भेजा गया और जबरन एक घर में घरेलू काम करवाया गया। महिला ने विरोध किया तो उसे धमकाया चुप करवाया गया। महिला मौका देखकर आरोपियों के चंगुल से भागकर ट्रैफिक थाने पहुंची और आपबीती बताई। इसके बाद असम से उसके परिवार को बुलाकर उसे सौंपा गया। इस पूरे मामले को मानव तस्करी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी महिला अधिकारिता विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मानव तस्करी के किसी बड़े नेटवर्क की आशंका महिला अधिकारिता विभाग की लॉ काउंसलर मोनू वर्मा ने बताया कि महिला डरी हुई हालत में थाने पहुंची थी। उसे दिल्ली के उत्तम नगर स्थित किसी राज प्लेसमेंट एजेंसी से अलवर भेजा गया था। महिला को अलवर में जिस घर में रखा गया, वहां काम नहीं करना चाहती थी। उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। सोशल काउंसलर ने कहा कि जिस तरह से महिला ने पूरी कहानी बताई है, उससे मानव तस्करी के किसी बड़े नेटवर्क या रैकेट की आशंका लग रही है। विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच करवाकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजेगा। थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई महिला शहर के ट्रैफिक थाने में पहुंची थी। यहां महिला अधिकारिता विभाग का कार्यालय है। महिला अधिकारियों ने महिला को संभाला। महिला ने उन्हें बताया कि उसे करीब 6 दिन पहले दिल्ली से अलवर लाया गया था। यहां एक घर में रखकर उससे लगातार घरेलू काम करवाया जा रहा था। जब उसने काम करने से मना किया और अपने पति से बात कराने की मांग की तो उसे धमकाया जाने लगा। महिला ने आरोप लगाया।

शादी के 3 माह बाद ही विवाहिता ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर की आत्महत्या

नई दिल्ली, 26 मई (वेब वार्ता)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक 25 वर्षीय नवविवाहित महिला ने चौथे माले से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार को हुई। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला ने करीब तीन महीने पहले अपनी पसंद से शादी की थी।

कैलास जीवन
मल्टिपर्पज् आयुर्वेदिक क्रीम
। एड़ियों का फटना । मुहाँसे ।
। हाथ पाँव और आँखों की जलन ।
। मुँह के छाले । कटना । जलना । फिशर्स ।
आदि के लिए गुणकारी
Available in: 12g Tube, 20g Tube, 30g, 60g, 120g, 230g Bottle amazon | netmeds.com
Distributors:
Jaipur: Shri Ram Drug Store: 0141 - 4014062, Jhalani Medicals: 0141-2315448 / 7742301053
। Manufacturer: ASUM, Pune. 020-24486865 । asumkj@gmail.com । www.asum.com ।
। Customer Care: Anjanikumar: 8484822074, Pankaj: 8484822071 ।

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालयः- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः-222.pnbhousing.com

बी.ओ. भिवाड़ीः ए-10, पहली मंजिल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, भिवाड़ी-301019, राजस्थान, बी.ओ. पीतमपुराः पांचवीं मंजिल, एचबी ट्विन टावर-1, प्लॉट नंबर ए-2, 3, 4, नेताजी सुभाष प्लेस कॉम्प्लेक्स, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 (डी मॉल के पास, रिंग रोड)।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर''** बेचा जाएगा। एतद्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी)(ई)	ईएमडी (10% का आरपी)(एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोउन एनकम ब्रेंस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
एचओयू/बीएचआई/1215/254644 मंजू देवी, श्री मुरारी लाल शर्मा, बी.ओ. : भिवाड़ी	रु. 1764,156.87/- और 20-09-2025	भौतिक कब्ज़ा	टावर-डी, (रूबी), फ्लैट नंबर- आर-507, कृष ऑरा, खसरा नंबर 518-527, 534-538, 543-551, ग्राम-सैदपुर, भिवाड़ी, अलवर, बीएसक्वेयर मॉल, राजस्थान- 301019, भारत।	रु. 12,34,000	रु. 1,23,400	15.06.2026	रु. 10,000.	05-06-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	16.06.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	ज्ञात नहीं है
एचओयू/पीटीपी/1119/757831 राज कुमार माझी, जेसिका शशांकर, बी.ओ. : पीतमपुरा	रु. 17,45,191.84 और 31-12-2021	भौतिक कब्ज़ा	1503.0,15.0, टावर जी, ग्रैंड्योर (होल्ड), सेक्टर 56, तहसील तिजारा जिला अलवर, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत- 301019	रु. 14,58,000	रु. 1,45,800	15.06.2026	रु. 10,000.	05-06-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	16.06.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	ज्ञात नहीं है

***18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।** 1. आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। 3. कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको रवि कुमार, दीपक शाह, टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेलः auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या **www.pnbhousing.com** देखें।

स्थानः-भीवाड़ी, दिनांकः- 27.05.2026 **एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नीदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व कार्यालय दुकान नं. 1 वार्ड नं. 1, इण्डियन मेडिकल हॉल के पास, हमीन्दपुर रोड़, बहरोड़, जिला-अलवर (राजस्थान) से प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिंक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह। मो. नम्बरः 9829410051 ई-मेल-yuvrajsinghh@gmail.com